अनुदान संख्या 55 – संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 55–TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	613,40,00	714,92,00	704,61,00	–10,31,00
पूरक	Supplementary	101,52,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10,31,00
पूंजीगत:	**Capital:**		429,60,00	386,41,00	–43,19,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				43,19,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचत (1031.00 लाख रु.) दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 10152.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 10 प्रतिशत से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थी।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.1031.00 lakhs) constituted more than 10 percent of the supplementary grants of Rs.10152.00 lakhs obtained in December, 2003 and February, 2004 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	61340.00	70461.00	70461.00	. .
पू.	S.	10152.00			
पु.	R.	–1031.00			

(I) "संघ राज्य क्षेत्रकी योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' के अंतर्गत 12840.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 2426.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 15266.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि जो 812.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(I) Under "Grants for Union Territory Plan Schemes – Block Grants – National Capital Territory of Delhi" – the original provision of Rs.12840.00 lakhs was augmented to Rs.15266.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.2426.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.812.00 lakhs; and

(II) "संघ राज्य क्षेत्रकी योजना स्कीमों के लिए अनुदान- एकमुश्त अनुदान - पांडिचेरी''- 219.00 लाख रु. की बचत (12400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(II) "Grants for Union Territory Plan Schemes– Block Grants – Pondicherry"- saving of Rs.219.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12400.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें इस तथ्य के कारण हुई कि वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सड़कों और पुलों के लिए निधियों के प्रावधान को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मांग में रखा गया था।

Savings under the above two heads were due to the fact that provision of funds for Roads and Bridges was kept in the Demands of the Ministry of Road Transport and Highways as per the decision taken by the Ministry of Finance.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

2. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–	
मुख्य शीर्ष "7602'' संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कर्ज तथा अग्रिम Major Head "7602" Loans and Advances to Union Territory Governments					
मू.	O.	42960.00	38641.00	38641.00	. .
पु.	R.	–4319.00			

(I) "संघ राज्य क्षेत्रकी योजना स्कीमों के लिए कर्ज - एकमुश्त कर्ज - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'' के अंतर्गत 4319.00 लाख रु. की बचत (29960.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस तथ्य के कारण हुई कि वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सड़कों और पुलों के लिए निधियों के प्रावधान को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मांग में रखा गया था और वित्त मंत्रालय के परामर्श के अनुसार संसद के पूर्व अनुमोदन से कर्ज और अग्रिम की राशि को सहायता अनुदान में परिवर्तित किए जाने के कारण भी हुई।

(I) Under "Loans for Union Territory Plan Schemes – Block Loans – National Capital Territory of Delhi" – saving of Rs.4319.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.29960.00 lakhs) was due to the fact that provision of funds for Roads and Bridges was kept in the Demands of the Ministry of Road Transport and Highways as per the decision taken by the Ministry of Finance and also due to conversion of the amount of Loans and Advances into Grants-in-aid with the prior approval of Parliament as per advice of the Ministry of Finance.